

ग्राम पंचायत पंचजल एवं स्वच्छता समिति को मान्यता देने हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

क्रमांक- 28/ब/23/35 वि.सं- 31/20/2023 जनपद- चण्डीगढ़

ग्राम पंचायत में दिनांक 01-7-2023 को ग्राम पंचायत की एक बैठक आयोजित किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया-

1- ग्राम पंचायत की एक बैठक ग्राम पंचायत पंचजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया और उसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में चयनित किया गया है-

क्रम	सदस्य का नाम	वर्गीकरण (अवस्था / अनुभव / जनजाति / शिक्षा / पेशे / महिला / अन्य)	पदनाम (अध्यक्ष / सदस्य)	सम्पर्क सूत्र मोबाइल नं०
1	श्रीमती सुभाषिणी	10/5	अध्यक्ष	8423570725
2			सदस्य	
3	श्रीमती सुभाषिणी	11	सदस्य	9151844993
4	श्रीमती सुभाषिणी	11	सदस्य	81270119439
5	श्रीमती सुभाषिणी	11	सदस्य	7524912694
6	श्रीमती सुभाषिणी	11	सदस्य	8303950596
7	श्रीमती सुभाषिणी	11	सदस्य	9967207491
8	श्रीमती सुभाषिणी	11	सदस्य	6289928166
9	श्रीमती सुभाषिणी	11	सदस्य	6389221519
10	श्रीमती सुभाषिणी	11	सदस्य	8756364553
11	श्रीमती सुभाषिणी	11	सदस्य	9889715346
12	श्रीमती सुभाषिणी	11	सदस्य	9799010229
13	श्रीमती सुभाषिणी	11	सदस्य	9005778203
14	श्रीमती सुभाषिणी	11	सदस्य	9721808761
15	श्रीमती सुभाषिणी	11	सदस्य	9326898608

2- पंचजल एवं स्वच्छता योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम विकास विभाग / पंचायती राज विभाग / राज्य पंचजल एवं स्वच्छता विभाग / राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, जिला पंचजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला प्रबन्धन ईकाई स्तर पर समय-समय पर नियत दिनांकों के अनुसार ग्राम पंचायत पंचजल एवं स्वच्छता समिति को अपना कार्य करने की अनुमति दी गयी है।

3- ग्राम पंचायत पंचजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम हेतु अनुमति प्राप्त करने की अनुमति दी गई ताकि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायत में क्रियान्वित कर सकें।

4- ग्राम पंचायत पंचजल एवं स्वच्छता समिति को अनुमति दी गई कि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता सम्बन्धित योजनाओं / सेवाओं हेतु रख-रखाव / उपकरणों की निर्धारित एवं भुगतान प्राप्त करें और भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में उचित कार्यवाही करें।



- 5- कार्यक्रम की प्रतिक्रिया के प्रबंधन हेतु ग्राम पंचायत बैठकजल एवं स्वच्छता समिति को बैठक में खड़ा होकर एवं उसके संचालन की अनुमति प्रदान की गई।
- 6- ग्राम पंचायत बैठकजल एवं स्वच्छता समिति को बैठकजल की व्यवस्था बनाने एवं उसे डिप्लोमादित करने के लिए पर नियमानुसार एवं आवश्यकानुसार पुनर्गठन करने एवं "Sign Off" हेतु अधिकृत किया गया। ग्राम पंचायत बैठकजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार जलापूर्ति एवं स्वच्छता की योजनाओं को डिप्लोमादित करने हेतु तकनीकी डिजाइनों पर निर्माण लेने हेतु अधिकृत किया गया।
- 7- ग्राम पंचायत बैठकजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह बैठकजल अर्पणी एवं स्वच्छता की सम्बन्धित सेवाओं हेतु उपयुक्त अधिकारी एवं सेवा प्रदाता एजेंसी के साथ सम्बंधित समझौता (MOU) एवं स्वीकृत पत्र (CONSENT) एवं अनुबंध पत्र (CONTRACT) हस्ताक्षरित करे।
- 8- ग्राम पंचायत बैठकजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह नियमों अनुसार निर्वाह समिती का उपदर्शन कर उपलब्ध करावे तथा उस समिती की गुणवत्ता को सुनिश्चित करे।
- 9- ग्राम पंचायत बैठकजल एवं स्वच्छता समिति को उनकी सम्बन्धित गतिविधियों को करने में पूर्ण सहयोग एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करने का निर्णय किया गया।
- 10- ग्राम पंचायत बैठकजल एवं स्वच्छता समिति को उपभोक्ताओं की शिक्षाओं का संचालन करने के लिये भी अधिकृत किया गया। तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता की सेवाओं के प्रबंध हेतु बैठक की गठी इणाली एवं सम्बन्धित क विविधता में सहयोग प्रदान करे।
- 11- ग्राम पंचायत बैठकजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह बहु-पक्षीय बैठकजल एवं स्वच्छता समिति तथा बहु-पक्षीय बैठकजल से सम्बन्धित अन्तर ग्राम समिती (यदि लागू हो गी) सामान्य मुखियाओं के संचालन प्रबंधन एवं अधिकृत जलापूर्ति हेतु संचालन करे।

**ग्राम पंचायत बैठकजल एवं स्वच्छता समिति के उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर-**

क्रम	सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर या निश अंगूठी
1	चरमिन्दु कुमार सिन्हा	अध्यक्ष	
2		सचिव	
3	अरमिन्दु कुमार	कोषाध्यक्ष	
4	अजय कुमार	सामान्य सदस्य	
5	सुनील कुमार	सामान्य सदस्य	
6	रोहित कुमार	सामान्य सदस्य	
7	राजेश कुमार	सामान्य सदस्य	
8	अजय राय	सामान्य सदस्य	
9	दिनेश कुमार	सामान्य सदस्य	
10	सारावती देवी	सामान्य सदस्य	
11	उषा देवी	सामान्य सदस्य	
12	कुसुमा देवी	सामान्य सदस्य	
13	ज्योती देवी	सामान्य सदस्य	
14	सुधा देवी	सामान्य सदस्य	
15	सोना देवी	सामान्य सदस्य	

